न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

68/2023
...एमएस : 2023/152

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री खेताराम जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर हाल माछीके तह. निहालसिंहवाला जिला मोगा (पंजाब)।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र पुत्र श्री खेताराम जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर हाल माछीके तह. निहालसिंहवाला जिला मोगा (पंजाब)।
3. विनोदकुमार पुत्र पुत्र श्री खेताराम जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर हाल माछीके तह. निहालसिंहवाला जिला मोगा (पंजाब)। —:वादीगण

बनाम

1. ताराचन्द्र पुत्र श्री बेगाराम जाति महाजन साकिन 23 पी.एस.'सी' (भट्टा कॉलोनी) तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. सतपाल पुत्र श्री बेगाराम जाति महाजन साकिन वार्ड नं. 13, रायसिंहनगर तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज)।
3. दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज)।
4. मुकेशकुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगनागर (राज.)।
5. मन्जूदेवी पुत्री श्री गिरधारीलाल जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
6. रजनीदेवी पुत्री श्री गिरधारी लाल जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
7. लक्ष्मी पत्नी श्री गिरधारीलाल जाति महाजन साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
8. मीरा पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
9. विद्यादेवी पत्नी श्री महावीर जाति जाट साकिन लखाहाकम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—92ए—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 18.05.2023

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री प्रीतमसिह गिल अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रति. सं. 1 ता 9

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक : 27.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक जमाबंदी संवत 2073—2076 वाके चक 84 आर.बी बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या पुराना 14 नया 15 में पं.नं. 251/265 मु.नं. 2 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 ओमप्रकाश का 1054/6325 हिस्सा अर्थात 1.054 है. नहरी, वादी सं. 2 सुभाषचन्द्र का 211/1265 हिस्सा अर्थात [illegible] द कुमार का 1054/6325 हिस्सा अर्थात 1.054 है. नहरी भूमि ए[illegible]ण ताराचन्द्र का 2/25 हिस्सा, दिनेशकुमार का 2/1163325 हिस्सा, मुकेश[illegible]/1265 हिस्सा, मन्जूदेवी का 14/1265 हिस्सा मीरा का 3/25 हिस्सा रजनी[illegible] का 71/6325 हिस्सा, लक्ष्मी का 14/1265 हिस्सा व विद्यादेवी का 633/632[illegible] हिस्सा व सतपाल का 632/6325 हिस्सा खातेदारी है विवादित रकबा का [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं [illegible] अदायगी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

लेकर वा अन्य छोटी–छोटी बातों को लेकर हमेशा झगडे वा विवाद का भय बने रहने एवं भूमि का समुचित सुधार व उत्पादन वृद्धि में रूकावट आने वा सरकारी योजनायें आदि के लाभ लेने में बाधा पैदा होने आदि समस्त हालात एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये काफी अरसा पूर्व काश्त, रास्ता, भूमि की किस्म एवं भूमि एकजोई [illegible]र काश्त को मध्यनजर रखते अपने–अपने भाग अनुसार घरेलू तोर से बाहम बंटवारा [illegible]म्न प्रकार से किया:–

(क) वादी सुभाषचन्द्र को उसके भाग 1.055 है. नहरी अनुसार वाके चक 84 आर.बी. बी के पं.नं. 251/265 मु.नं. 2 के कि.नं. 13 का 0.127 है. पूर्वी पासा, 14–15 प्रत्येक 0.253है., 16 की 0.169 है. उतरी पासा, 17 की 0.127 है. उतरी पासा व 18 की 0.126 है. उतरी पासा कुल 1.055 है. नहरी रकबा खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त हुआ।

(ख) वादी ओमप्रकाश को उसके भाग 1.054 है. नहरी अनुसार वाके चक 84 आर. बी.बी. के पं.नं. 251/265 मु.नं. 2 के कि.नं. 16 की 0.084 है. दक्षिणी पासा, 17 की 0.126 है. दक्षिणी पासा, 18 की 0.127 है. दक्षिणी पासा, 19–20 प्रत्येक 0.253 है. व 21 की 0.211है. पश्चिमी पासा कुल 1.054 है. नहरी रकबा खातेदारी कृषि भूमि कब्जा काश्त प्राप्त हुआ।

(ग) वादी विनोद कुमार को उसके भाग 1.054 है. नहरी अनुसार वाके चक 84 आर. बी. बी. के पं.नं. 251/265 मु.नं. 2 के कि.नं. 21 की 0.042 है. पूर्वी पासा, 21 ता 25 प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.054 है. नहरी रकबा खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त है। उनके कब्जा व काश्त अनुरूप किलावाईज विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

(घ) शेष रकबा प्रतिवादीगण को उनके भाग अनुसार प्राप्त होकर उनके कब्जा काश्त मे चला आ रहा है।

वादीगण खातेदार टिनेन्ट होने से घरेलू बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा करवा अपना खाता सहखातेदारान से अलग करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा पाने के विधिक अधिकारी होने से वादीगण प्रतिवादीगण से अनुरोध करते रहे कि विवादित रकबा का घरेलू बाहमी बंटवारा वा कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवा खाता विभाजन करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो वे प्रथमतः टालमटोल पश्चात अततः दिनांक 14.05. 2023 को बमुकाम लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर में प्रतिवादीगण ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि उन्हे जरूरत नहीं है आपको है तो करवा लों यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्तमत है। वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 10 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है। वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या पुराना 14 नया 15 में पं.नं. 251/265 मु. नं. 2 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के भाग अनुसार उनके मध्य हुये घरेलू बाहमी बंटवारा, जो वाद की मद सं. 3 की उपमद क–ख–ग–घ मे दर्ज अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त को स्वीकार करते हुये विधिक बंटवारा व खाता विभाजन की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण के अधिकवक्ता ने क[illegible] कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार तहसील[illegible] से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। तहसीलदार [illegible] के विभाज[illegible] अनुसार खाता विभाजन न्यायालय द्वारा किया जाता है कोई एतराज नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:19 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकारामा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मेट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या पुराना 14 नया 15 में पं.नं. 251/265 मु. नं. 2 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2024/414 दिनांक 03.05.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.-अ./2024/2321 दिनांक 28 05.2024 द्वारा चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या पुराना 14 नया 15 में पं.नं. 251/265 मु. नं. 2 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. सुभाषचन्द्र पुत्र खेताराम जाति महाजन वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 251/265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 13/0.163, 14/0.253, 15/0.241, 16/0.144, 17/0.127, 18/.0126 कुल 1.054 है. नहरी भूमि।
2. औमप्रकाश पुत्र खेताराम जाति महाजन वाके चक 84 आरबी वी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 251/265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 16/0.097, 17/0.126, 18/0.127, 19-20/.506, 21/0.198 कुल 1.054 है.नहरी भूमि।
3. विनोद पुत्र खेताराम जाति महाजन वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 251/265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 21/0.55, 22-23-24/0.759, 25/0.240 कुल 1.054 है. नहरी भूमि।
4. ताराचन्द्र वगैरहा की संयुक्त भूमि वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिहनगर के पं.नं. 251/265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 1 ता 12 में 3.036 है. व 13/090 कुल 3. 163 है. नहरी भूमि।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। ब्रहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिहनगर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या पुराना 14 नया 15 में पं.नं. 251/265 मु. नं. 2 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नाकित रूप से किया जाता है:-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र खेताराम जाति महाजन वाके च[illegible] बी तहसील रायसिंहनगर के पं.न. 251/265 मुं.न. 2 के कि[illegible] 13/[illegible] 14/0.253, 15/0.241, 16/0.144, 17/0.127, 18/0.126 कुल [illegible] भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रकरण संख्या 68 / 2023 अनवान
औमप्रकाश आदि बनाम ताराचन्द्र आदि
निर्णय दिनांक 27.08.2024

2. औमप्रकाश पुत्र खेताराम जाति महाजन वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 251 / 265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 16 / 0.097, 17 / 0.126, 18 / 0.127, 19–20 / .506, 21 / 0.198 कुल 1.054 है.नहरी भूमि।
3. विनोद पुत्र खेताराम जाति महाजन वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 251 / 265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 21 / 0.55, 22–23–24 / 0.759, 25 / 0.240 कुल 1.054 है. नहरी भूमि।
4. ताराचन्द्र वगैरहा की संयुक्त भूमि वाके चक 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 251 / 265 मुं.नं. 2 के कि.नं. 1 ता 12 में 3.036 है. व 13 / .090 कुल 3.163 है. नहरी भूमि।

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर / लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

निर्णय आज दिनांक **27.08.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:19 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner